सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **244/2013** दायर दिनाँक **25.10.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र हणमानराम दत्तक पुत्र चतराराम, जाति–जाट, निवासी–ढाकी की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. जीवणीदेवी पत्नी हणमानराम, 2. राजूदेवी पुत्री हणमानराम, 3. ज्ञानादेवी पत्नी चतराराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढाकी की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **18.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी स्वर्गीय हणमानराम का जायन्दा पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 01 उसकी माता तथा प्रतिवादी संख्या 02 सगी बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 03 ज्ञानादेवी वादी के स्वर्गीय पिताजी की दत्तकमाता है। वादी के स्वर्गीय पिताजी के दत्तक पिता स्वर्गीय चतराराम का स्वर्गवास वाद दायरा से 13–14 माह पूर्व हो चुका है। नकल दत्तक विलेख की पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मौजा ढाकी की ढाणी में खसरा नम्बर 288 रकबा 20.00 बीघा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के घोषणा खातेदारी की

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 184/2017
दायर दिनाँक 25.10.2013, निर्णय दिनाँक 18.05.2018
रामूराम बनाम् जीवणीदेवी, वगैरा।

जावे तथा वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो।

वाद का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 ग्राम ढाकी की ढाणी खेवट संख्या 20/17 खसरा नम्बर 288 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**आकोदा** में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी ने दावा स्वीकार कर, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादी ने निवेदन किया कि, चतराराम ने हनुमान को गोद जरिये गोदनामा के रखा था। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 उक्त हनुमान के पुत्र–पुत्रियाँ हैं। इस लिहाज से, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार मृतक चतराराम पुत्र तेजाराम के वे (वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03) ही वारिशान् हैं अतः इन्हीं के हक में दावा डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत वाद शरहद मौजा ढाकी की ढाणी में खसरा नम्बर 288 रकबा 20.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज मृतक खातेदार चतराराम पुत्र तेजाराम के विधिक वारिशान् उनके द्वारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के पिता को गोद लिया जाना की नियमानुसार जाँच कर, नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना ही, न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 164 / 2017
दायर दिनाँक 26.10.2013, निर्णय दिनाँक 18.05.2018
रामूराम बनाम जीवणीदेवी, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा शरहद मौजा ढाकी की ढाणी में खसरा नम्बर 288 रकबा 20.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार मृतक चतराराम पुत्र तेजाराम के विधिक वारिशान् तथा उक्त वादवर्णित गोदनामा की नियमानुसार जाँच कर, मृतक चतराराम पुत्र तेजाराम कौम जाट के वारिशान् के नाम से नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

निर्णय, आज दिनाँक 18.05.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **244/2013** दायर दिनाँक **25.10.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र हणमानराम दत्तक पुत्र चतराराम, जाति–जाट, निवासी–ढाकी की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. जीवणीदेवी पत्नी हणमानराम, 2. राजूदेवी पुत्री हणमानराम, 3. ज्ञानादेवी पत्नी चतराराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढाकी की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **18.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **वादी उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद मौजा ढाकी की ढाणी में खसरा नम्बर 288 रकबा 20.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार मृतक चतराराम पुत्र तेजाराम के विधिक वारिशान् तथा उक्त वादवर्णित गोदनामा की नियमानुसार जाँच कर, मृतक चतराराम पुत्र तेजाराम कौम जाट के वारिशान् के नाम से नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **18.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–244–2013 / रीडर / 2018 / दिनाँक 18.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामूराम पुत्र हणमानराम दत्तक पुत्र चतराराम, जाति–जाट, निवासी–ढाकी की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. जीवणीदेवी पत्नी हणमानराम, 2. राजूदेवी पुत्री हणमानराम, 3. ज्ञानादेवी पत्नी चतराराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–ढाकी की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner